

मैनुअल संख्या-7

किसी व्यवस्था की विशिष्टतां जो उसकी नीति की संरचना या उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

नीतियाँ शासन की होती हैं। पुलिस विभाग में जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वह गोपनीय होती हैं, क्योंकि पुलिस विभाग में अधिकांश कार्य ऐसे होते हैं, जिनमें कोई एक पक्ष प्रभावित होता है, ऐसी दशा में बनाई नीति तथा उसका कार्यान्वयन गोपनीय रखा जाता है।

कम्यूनिटी पुलिससिंग में नीति बनाने एवं उसके कार्यान्वयन के लिये जनता के प्रतिनिधित्व देकर उनसे परामर्श लिया जाता है:-

जैसे-

- 1- गणमान्य व्यक्तियों, सांसदों, विधायकों के साथ समय-समय पर की जानी वाली गोष्ठियां।
- 2- सीनियर सिटीजनस् के साथ विभिन्न अवसरों पर कार्यालय एवं थाना स्तर पर बैठके आयोजित की जाती है।

- 3- ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम पंचायत सदस्यों, जनमित्र समितियों एवं शान्ति सुरक्षा समितियों के साथ बैठकें आयोजित कर उसमें उठाई गई आपत्तियों का निराकरण किया जाता है।
- 4- विभिन्न संगठनों/यूनियनों से संबंधित नीतियों जैसे यातायात के सम्बन्ध में टैक्सी चालकों, वाहन स्वामी आदि के साथ बैठके करके यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है।